न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/87/18	21–08–2018	21–08–2018

1–पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा –सी–3 ए रीको चौक होटल स्वागत भिवाडी, जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1–ऋण खाता (अ) ओडीपी लिमिट लोन (खाता सं. 0974100000007)
मैसर्स ओमप्रकाश दायमा डीलर मदर डेयरी प्रो. ओमप्रकाश दायमा पुत्र हरकेश
(अ)दुकान नं. ए–28 सेन्ट्रल मार्केट राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
(ब)ग्राम मिलकपुर गुर्जर पोस्ट–भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
(स)मकान नं. 13 साऊथ सिटी राजेश पायलेट चौक जिला रेवाडी हरियाणा
(द)मो. 9602255400
2–श्रीमती गिन्दोडी देवी पत्नी हरकेश
(अ)मकान नं. 127 ग्राम मिलकपुर गुर्जर पोस्ट भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
(ब)दुकान नं. ए–28 (बेसमेन्ट) सेन्ट्रल मार्केट राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर
3–श्री तेजराम तंवर पुत्र श्री जगदीश तंवर ग्राम मिलकपुर गुर्जर पोस्ट भिवाडी तहसील तिजारा
ऋण खाता (ब) ऑटो लोन (खाता सं. 09741200000045)
4–ओमप्रकाश दायमा पुत्र श्री हरकेश
(अ)ग्राम मिलकपुर गुर्जर पोस्ट भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
(ब)मकान नं. 13 साऊथ सिटी राजेश पायलेट चौक जिला रेवाडी हरियाणा।
(स) मो. 9602255400
5–श्रीमती गिन्दोडी देवी पत्नी हरकेश
(अ)मकान नं. 127 ग्राम मिलकपुर गुर्जर पोस्ट भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
(ब)दुकान नं. ए 28 (बेसमेन्ट) सेन्ट्रल मार्केट राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
6–श्री अमृत तंवर पुत्र श्री जगदीश तंवर
मैसर्स अमृत तंवर लिफ्टर सर्विसेज आकेडा चैक पोस्ट के पास, भिवाडी जिला अलवर।

अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर **श्रीमती गिन्दोडी देवी पत्नी श्री हरकेश की दुकान नं. ए 28 (बेसमेन्ट) बिना छत सेन्ट्रल मार्केट राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित कॉनेर सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 150 वर्गफीट) तथा हाईपोथिकेटेड निसान सन्नी सक्सएल डीजल कार रजि. नं. एचआर 36 एस–4544 इजिन नं. ई0 10918**

चेचिस नं. एमडीएचबीडीएएन 17 सी 5014253 रंग स्टोर्म व्हाईट एस ग्रे को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नही किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र/दस्तावेजता के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला–अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21–08–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर